[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0. 39/2018- सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल, 2018

सा.का.नि.......(अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0. 25/2005-सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2005 जिसे सा.का.नि. संख्या 123(अ), दिनांक 1 मार्च, 2005 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है; यथा:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में,

(i) क्रम संख्या 13 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, "डिजीटल स्टिल विडियो कैमरा" शब्दों के पश्चात "जो कि सेलुलर मोबाइल फोन के कैमरा या कैमरा मॉड्यूल से भिन्न हों" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 16 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (i) में "डिजीटल स्टिल विडियो कैमरा" शब्दों के पश्चात "जो कि सेलुलर मोबाइल फोन के कैमरा या कैमरा मॉड्यूल से भिन्न हों" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 22 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, "प्रिंटिड सर्किट्स" शब्दों के पश्चात "सैलुलर मोबाइल फोन के कनेक्टर्स से भिन्न" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 23 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, "केबल्स" शब्द के पश्चात "सैलुलर मोबाइल फोन के कनेक्टर्स से भिन्न" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा ।

[फा. सं0.354/20/2017-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना सं0. 25/2005-सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2005 को सा.का.नि.संख्या 123(अ), दिनांक 1 मार्च, 2005 के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं0. 67/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 14 जुलाई, 2017, सा.का.नि. 881 (अ), दिनांक 14 जुलाई, 2017 के तहत संशोधन किया गया था ।